

राजस्थान सरकार

निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- एफ.20 (I-~~24~~⁵¹)/आई.डब्ल्यू.एम.पी./निजमूस/2011-12/
दिनांक: 7/9/12
6692-6737

समस्त परियोजना प्रबन्धक (WCDC) एवं
अधिशाषी अभियन्ता (भू संसाधन)
जिला परिषद

विषय:- आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना क्षेत्र में परिवर्तन न करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत जारी की जा रही प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत के अनुरूप स्वीकृत क्षेत्रफल के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में भी कुछ जिलो द्वारा अपने स्तर पर ही कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि चिन्हित जलग्रहण क्षेत्रों में स्वीकृत मैक्रो/माईक्रो के क्षेत्रफल के बाहर के अन्य मैक्रो/माईक्रो में कार्य सम्पादित न किया जावे तथा इसी प्रकार मरुस्थलीय क्षेत्रों में स्वीकृत गाँवों के अतिरिक्त किसी भी अन्य गाँव में कार्य सम्पादित न किया जावे, चाहे वह गाँव उसी ग्राम पंचायत का हिस्सा हो। राज्य सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जावे।

क्रमांक:- एफ. 20 (I-~~24~~⁵¹)/आई.डब्ल्यू.एम.पी./निजमूस/2011-12/
प्रतिलिपि:-
6692-6737

निदेशक

दिनांक: 7/9/12

1. अतिरिक्त निदेशक (I, II) निदेशालय जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, जयपुर।
3. उप निदेशक, (I/WMP- I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, MIES), PO, (LR) निदेशालय जयपुर।
4. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने का श्रम करे।

निदेशक